न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

भगवान सहाय बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्रार्थना पत्र मु. नं. 45/2019
25.04.2022	पत्रावली आज वास्ते आदेश / निर्णय हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	25/04/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.06 10:19:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
45/2019	2019/134	01.07.2019	25.04.2022

उनवान प्रकरण

1. भगवान सहाय पुत्र भूदाराम उम्र 85 वर्ष
2. जगदीश प्रसाद पुत्र मालीराम उम्र–45 साल

समस्त जाति जाट निवासी श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला– सीकर।

3. छोटी देवी पत्नी रामस्वरूप उम्र– 75 साल

जाति स्वामी निवासी श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।
2. सुरजमल पुत्र रूघाराम उम्र– 68 साल जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 3, ढ़ाणी मउवाली श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
3. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी हरिप्रसाद उम्र 40 साल, जाति स्वामी निवासी खेड़ी जाजोद, तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0
4. श्रीमती सम्पति देवी पत्नी प्रहलाद उम्र 40 साल जाति स्वामी निवासी ग्राम भोजपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0

5.–सार्वजनिक निर्माण विभाग राज0 पी0डब्ल्यू0डी0 श्रीमाधोपुर जरिये सहायक अभियंता

उपस्थित :–

श्री सुरेश कुमार लाम्बा एड0 – प्रार्थीगण की ओर से

श्री दिलीप कुमार मंगावा एड0 – अप्रार्थी सं. 2 की ओर से

श्री हरिप्रसाद गुप्ता एड0 – अप्रार्थी सं. 5 की ओर से

पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.06 10:19:46 IST
Reason: SelfAttested

25/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खसरा नंबर 1318 रकबा –1.18 हैक्टर थी। जिसमें से श्रीमाधोपुर बाईपास हेतु 0.41 हैक्टर भूमि अवाप्त होकर वह भूमि 1338/2 दर्ज होकर राजस्व अभिलेख में सार्वजनिक निर्माण विभाग राज0 पीडब्ल्यूडी श्रीमाधोपुर अनावेदक संख्या 5 के नाम अंकित हो गई तथा शेष भूमि के खसरा नम्बर 1338/1 रकबा 0.0950 हैक्टर तथा 1338/3 रकबा 0.6750 हैक्टर कुल खसरे 2 कुल रकबा 0.77 हैक्टर आवेदकगण एंव अन्य के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित है। ग्राम श्रीमाधोपुर की भूमि खसरा नम्बर 1310 रकबा 0.39 हैक्टर आवेदकगण की उपरोक्त भूमि से सटाकर पश्चिम में स्थित है जो राजस्व अभिलेख में अनावेदक संख्या 2 सुरजमल के नाम अंकित है। उक्त भूमि में से 0.01 हैक्टर भूमि श्रीमाधोपुर बाईपास हेतु अवाप्त हुई है जिसका मुआवजा भी अनावेदक संख्या 2 ने प्राप्त किया है किन्तु राजस्व अभिलेख में भूमि खसरा नम्बर 1310 का रकबा कम नहीं हुआ है ना ही अवाप्तशुदा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रीमाधोपुर अनावेदक संख्या 5 के नाम अंकित की गई है। श्रीमाधोपुर बाईपास हेतु भूमि अवाप्ति होने पर भूमि अवाप्ति अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्व नक्शा में अवाप्तशुदा भूमि को दर्शाया गया है किन्तु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्व नक्शा ट्रेस में अवाप्त भूमि को [illegible] नहीं किया जाकर आवेदकगण की भूमि में पश्चिम दिशा में [illegible] तरफ खसरा नम्बर 1305 को छोड़ते हुए अंकन किया गया है जो नक्शा ट्रेस में संशोधन होने योग्य है। भूमि खसरा नम्बर 1310 का क्षेत्रफल कम नहीं किये जाने एंव नक्शा ट्रेस में अवाप्तशुदा भूमि को गलत दर्शाये जाने के कारण अनावेदक संख्या 2 ने भूमि खसरा नम्बर 1310 में से एक

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

25/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.06 10:19:46 IST
Reason: SelfAttested

भूखण्ड 250 वर्गगज अर्थात 209 वर्गमीटर का अनावेदक संख्या 3 व 4 को विक्रय किया है जिसमें गलत रूप से आवेदकगण की भूमि को विक्रय लेख में दर्शाया गया है। राजस्व अभिलेख में आवेदक भगवानसहाय, छोटीदेवी को सा. राजपुरा एंव आवेदक जगदीश प्रसाद को सा. बासड़ी अंकित किया है जबकि सभी आवेदकगण श्रीमाधोपुर के निवासी है। जिसे राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना है। राजस्व अभिलेख एंव राजस्व नक्शा ट्रेस में गलत अंकन होने के कारण अनावेदक संख्या 2 ता 4 एक माह से आवेदकगण की भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर निर्माण करने व रास्ता निकालने को तैयार हो रहे है, मना करने पर लड़ाई झगड़ा को तैयार है। जिससे आवेदकगण को अत्यधिक हानि हो रही है। वकील प्रार्थी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदकगण की भूमि में से राजस्व नक्शा ट्रेस में अवाप्तशुदा भूमि का सही रूप से संशोधन किया जाकर भूमि का आवेदकगण को सीमाज्ञान कराया जाकर आवेदकगण को निवासी श्रीमाधोपुर संशोधित करते हुए अनावेदक संख्या 2 ता 4 को आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 1338/3 व 1338/1 में किसी प्रकार का निर्माण कर रास्ता निकालकर अतिक्रमण नहीं करने हेतु पांबद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी नं. 2 की ओर से श्री दिलीप सिंह मंगावा एड0 एंव अप्रार्थी सं. 5 की ओर से श्री हरिप्रसाद गुप्ता एड0 उपस्थित आये। अप्रार्थीगण नं. 1, 3 व 4 की तामील हो जाने पर हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 2 व 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जरिये पत्रांक 967 दिनांक 09.07.2019 के द्वारा प्रकरण की जॉच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 01 (तहसीलदार), श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1315/राजस्व/2019 दिनांक 29.07.2019 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई।

इस संबंध में पेशकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 1315/भू.अ./2019 दिनांक 29.07.2019 के जॉच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि "ग्राम श्रीमाधोपुर में पूर्व में खसरा नंबर 1338 रकबा 1.18 है0 प्रार्थीगण एंव

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.06 10:19:46 IST
Reason: SelfAttested

25/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अन्य निजी खातेदारी शामलाती रूप से दर्ज रिकार्ड थी। पूर्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रीमाधोपुर द्वारा उक्त आराजी से 0.41 हैक्टर रकबा अवाप्त किया गया था। जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 1338/2 रकबा 0.41 हैक्टर होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त अवाप्ति के बाद शेष बचा रकबा खसरा सं. 1338/1 रकबा 0.0950 हैक्टर तथा खसरा सं. 1338/3 रकबा 0.6750 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.77 हैक्टर की खातेदारी प्रार्थीगण एंव अन्य खातेदारान् के नाम दर्ज रिकार्ड है। भूमि अवाप्ति के समय ग्राम श्रीमाधोपुर में खसरा सं. 1310 रकबा 0.39 हैक्टर जो कि सुरजमल पुत्र रूघा माली के नाम पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अंकित है में से 0.01 हैक्टर रकबा अवाप्त हुआ था परन्तु इस अवाप्ति का नामान्तकरण दर्ज नहीं होने के कारण उक्त 0.01 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं हुआ है परन्तु पटवार कार्यालय में स्थित लठ्ठा शीट में खसरा सं. 1310 में लाल स्याही से तरमीम की हुई है। जमाबन्दी में रकबा कम नहीं हुआ है तथा सम्पूर्ण 0.39 हैक्टर रकबा निजी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। अवाप्ति के समय खसरा सं. 1305 रकबा 0.62 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर रकबा ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्त उकिया गया था। जिसका न तो जमाबन्दी में अंकन सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम हुआ है तथा ना ही नक्शा राजस्व रिकार्ड में तरमीम होने बाबत रिपोर्ट पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर के आधार पर प्रेषित की गई हैं।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 व 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हो जाने तथा भूमिधारी की हैसियत से तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर सगौर मनन किया गया। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बार–बार [illegible] अपनी खातेदारी भूमियों में अवाप्तशुदा भूमि का रकबा जमाबन्दी [illegible] के नाम किया जाकर राजस्व नक्शा ट्रेस में अवाप्तशुदा भूमि का सही अंकन कि[illegible] जाकर आवेदकगण का निवासी श्रीमाधोपुर संशोधित किये जाने का निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने दौराने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.06 10:19:46 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

बहस अवगत कराया कि **खसरा नंबर 1338 रकबा 1.18 है0 प्रार्थीगण एंव अन्य निजी खातेदारी शामलाती रूप से दर्ज रिकार्ड थी। जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रीमाधोपुर द्वारा उक्त आराजी से 0.41 हैक्टर रकबा अवाप्त किया गया था। जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 1338/2 रकबा 0.41 हैक्टर होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त अवाप्ति के बाद शेष बचा रकबा खसरा सं. 1338/1 रकबा 0.0950 हैक्टर तथा खसरा सं. 1338/3 रकबा 0.6750 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.77 हैक्टर की खातेदारी प्रार्थीगण एंव अन्य खातेदारान् के नाम दर्ज रिकार्ड है। भूमि अवाप्ति के समय ग्राम श्रीमाधोपुर के खसरा सं. 1310 रकबा 0.39 हैक्टर जो सुरजमल पुत्र रूघा माली के नाम पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अंकित है में से 0.01 हैक्टर रकबा अवाप्त हुआ था** उसका अप्रार्थी संख्या 2 सुरजमल द्वारा कोई मुआवजा प्राप्त नहीं किया गया तथा ना ही अप्रार्थी सं. 2 को कोई मुआवजा दिया गया। अप्रार्थी संख्या 2 अपनी भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार जमाबन्दी अनुसार चला आ रहा है जिसका अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी खातेदारी भूमि का बैचान अन्य दीगर को दिया है जो मौके पर पुख्ता मकानात् बनाकर काबिज आबाद चले आ रहे हैं। अप्रार्थी सं. 2 ने कोई मुआवजा राशि प्राप्त नहीं किये जाने एंव उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया हैं। वही वकील अप्रार्थी संख्या 5 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया कि ग्राम श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 1338 में से बाईपास हेतु 0.41 हैक्टर भूमि अवाप्त होकर अवाप्त भूमि का नया खसरा नम्बर 1338/2 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 1310 में से बाईपास हेतु 0.01 हैक्टर भूमि अवाप्त की जाकर मुआवजा सम्बन्धित खातेदारान् के नाम जारी किया जाकर मुआवजा भुगतान करना तथा उक्त भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड नहीं हुई है। श्रीमाधोपुर बाईपास हेतु अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 1310, 1305, 1338/2 का नक्शा ट्रेस में सही रूप से अंकन नहीं होने तथा अवाप्त भूमि अनुसार सड़क का निर्माण किये जाने से राजस्व नक्शा ट्रेस में [illegible]धन [illegible]ये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थी संख्या 5 ने अपनी बहस में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.06 10:19:46 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस [illegible]लाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर सगौर मनन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

नम्बर 1338 में से बाईपास हेतु 0.41 हैक्टर भूमि अवाप्त होकर अवाप्त भूमि का नया खसरा नम्बर 1338/2 होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज होना प्रकट होता है तथा खसरा नम्बर 1310 में से बाईपास हेतु 0.01 हैक्टर भूमि अवाप्त की जाकर मुआवजा सम्बन्धित खातेदारान् के नाम से जारी होना तथा मुआवजा राशि का भुगतान सम्बन्धित खातेदारान् को किया जाना तथा उक्त भूमि का नामान्तकरण सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड नहीं होना रिकार्ड से प्रमाणित होता है। वकील अप्रार्थी सं. 2 का कथन कि उन्हें कोई मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ तथा ना ही उन्हें कोई मुआवजा दिया गया बाबत कथन गलत है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा जरिये चैक संख्या 458722 राशि 1000/– रूपए प्राप्त किया जाना रिकार्ड से प्रकट होता है। खसरा नम्बर 1310 में से बाईपास हेतु 0.01 हैक्टर अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा सम्बन्धित खातेदारान् को हो जाने से उक्त भूमि का नामान्तकरण सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड नहीं होना प्रकट होता है। श्रीमाधोपुर बाईपास हेतु अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 1310, 1305, 1338/2 का नक्शा ट्रेस में सही रूप से अंकन नहीं होने तथा अवाप्त भूमि अनुसार सड़क का निर्माण किये जाने से राजस्व नक्शा ट्रेस में संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर के खसरा नंबर 1305 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नम्बर 1310 रकबा 0.01 हैक्टर अवाप्तशुदा भूमि का राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रीमाधोपुर के नाम दर्ज किये जाने तथा आवेदकगण की भूमि में से राजस्व नक्शा ट्रेस में अवाप्तशुदा भूमि [illegible] रूप से तरमीम किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। खसरा नम्बर 1338/1 व 133[illegible] में दर्ज खातेदार छोटी देवी पत्नि रामस्वरूप व भगवानसहाय पुत्र भूदाराम सा. राजपुरा एवं जगदीश प्रसाद पुत्र मालीराम सा. बासड़ी के स्थान पर सा. श्रीमाधोपुर दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरूस्ती की कार्यवाही की जावे। इस बाबत तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.06 10:19:46 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.06 10:19:46 IST
Reason: SelfAttested